आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –59 / 2021

पदमजा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
15.05.2023	यह पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश दिनांक–03.05.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है क्योंकि प्रश्नगत मामले में विज्ञापन का प्रकाशन सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 के आधार पर हुआ है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, डुमरा ग्रामीण में दिनांक–17.06.2018 को	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अपीलकर्ता ने अपना आवेदन दिया तथा दिनांक–24.09.2018 को आम सभा हुई है। अर्थात प्रश्ननगत मामला 2019 के सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका से पूर्व का है। समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में वैसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"*** प्रश्नगत मामले में पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL